### प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



#### निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

05 मई, 2025

Deposit Insurance Scheme, 1961 - Cancellation of Registration - Imperial Urban Co-Op. Bank Ltd., Jalandhar जमा बीमा योजना, 1961 - पंजीकरण रद्द करना - इम्पेरियल अर्बन को-ओप. बैंक लिमिटेड, जालंधर

The Reserve Bank of India (RBI), vide Press Release dated April 25, 2025, has cancelled the license of Imperial Urban Co-Op. Bank Ltd., Jalandhar

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अप्रैल 2025 के प्रेस रिलीज द्वारा **इम्पेरियल अर्बन को-ओप. बैंक** लिमिटेड, जालंधर का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

2. Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from April 25, 2025.

परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण 25 अप्रैल 2025 की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

3. Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of **Imperial Urban Co-Op. Bank Ltd., Jalandhar** an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., April 25, 2025, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

कृपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, निगम बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात 25 अप्रैल 2025 को, उस बैंक में उसकी

### प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



# निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

## DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION



वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : <u>dicgc@rbi.org.in</u>



जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि बैंक के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

> पवनजीत कौर ऋषि उप महाप्रबंधक

प्रेस विज्ञप्ति/Press Release: 2025-2026/04